

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192]

दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 30, 2019/भाद्र 8, 1941

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 159

No. 192]

DELHI, FRIDAY, AUGUST 30, 2019/BHADRA 8, 1941

[N.C.T.D. No. 159

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 अगस्त, 2019

सं. MLO/VIU/TPT/2017/221/1780.—जबकि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 81 की शक्तियों का, केंद्र सरकार द्वारा की गयी अधिसूचना दिनांक 21/03/2017, सा.का.नि. 271(अ) खंड 2(i) के तहत प्रयोग करके दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमों का मसौदा बनाना प्रस्तावित किया गया था, जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988, की धारा 212 की उपधारा (i) के अनुसार प्रभावित व्यक्तियों की जानकारी में लाने के लिए आवश्यक था, अधिसूचना संख्या MLO/VIU/TPT/2017/221/1740 दिनांक 26/08/2019 को दिल्ली गजट, असाधारण में सभी प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था, इसके अलावा और सूचना दी गई थी कि उक्त मसौदे को उस तारीख से तीन दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार में लिया जाएगा, जिस दिन दिल्ली के राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं।

और जबकि, 26 अगस्त, 2019 को उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गईं,

और जबकि, उक्त मसौदा नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियां और सुझाव भून्य हैं,

अब, इसलिए, केंद्रीय मोटर वाहन नियमों, 1989 के नियम 81 की शक्तियों का केंद्र, सरकार द्वारा की गयी अधिसूचना दिनांक 21/03/2017, सा.का.नि. 271(अ), खंड 2(i) के तहत प्रयोग करके, मोटर वाहन अधिनियम, 1988, की धारा 212 की उपधारा (i) के तहत प्रयोग करके, मोटर वाहन अधिनियम, 1988, की धारा 212 की उपधारा (i) के अनुसार दिल्ली मोटर वाहन नियमों, 1993 में आगे संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाए गए हैं, अर्थात्,

नियम

1. लघु शीर्षक और कमिशन

(1) इन नियमों को दिल्ली मोटर वाहन (संशोधन), नियम, 2019, कहा जाएगा।

(2) वे दिल्ली में 01 सितम्बर, 2019 से लागू होंगे।

2. नियम 59 में संशोधन दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993, के नियम 59 में, ऑटो रिक्शा के परमिट के निर्गमन एवं नवीनीकरण के मुद्दे पर मद (क) के खिलाफ, आंकड़ा और शब्दों के लिए 1000/- (एक हजार रुपए), आंकड़ा और शब्द रु. 500/- (पांच सौ रुपए) प्रतिस्थापित किए गए हैं।

3. नए नियम 59 (ए) की प्रविष्टि नियम 59 के बाद, उक्त नियमों में, निम्नलिखित को डाला जाएगा:-

नियम 59 (ए) फिटनेस, पंजीकरण, स्वामित्व के हस्तांतरण, जुर्माना और ऑटो-रिक्शा के लिए किराया खरीद जोड़ के संबंध में भुगतान की जाने वाली फीस निम्नानुसार होगी:-

क्र. सं.	ऑटो रिक्शा शुल्क	शुल्क (रुपये में)
1	फिटनेस शुल्क	शून्य
2	देर से फिटनेस के लिए अतिरिक्त शुल्क	300/- + 20/- प्रतिदिन
3	पंजीकरण/पुनः पंजीकरण	300/-
4	डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र	150/-
5	स्वामित्व का हस्तांतरण	150/-
6	स्वामित्व के हस्तांतरण में देरी के लिए अतिरिक्त शुल्क	100/- प्रतिमाह
7	किराया-खरीद जोड़	500/-

यह अधिसूचना दिल्ली सरकार के माननीय मंत्री (परिवहन) की पूर्व स्वीकृति से जारी की जाती है।

अजय कुमार सिनान्दी, उपायुक्त (ऑटो रिक्शा इकाई)

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 30th August, 2019

No. MLO/VIU/TPT/2017/221/1780.—Whereas the draft rules further to amend Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, were published as required in exercise of powers given under rule 81 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989 by Central Government vide notification dated 21.03.2017, G.S.R. 271(E), clause 2(i) and sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1998 (19 of 1998), vide notification No. MLO/VIU/Tpt./2017/221/1740, dated the 26th August, 2019 in the Delhi Gazette, Extraordinary, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before expiry of the period of three days from the date on which copies of the Delhi Gazette containing the said notification were made available to public.

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 26th August, 2019,

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules are nil,

Now, therefore, in exercise of the powers under rule 81 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989 conferred by Central Government vide notification dated 21.03.2017, G.S.R. 271(E), clause 2(i), and sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1998 (19 of 1998), the following rules are made to amend the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, namely:

RULES

- 1. Short Title and Commencement**
- (1) These rules will be called the Delhi Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2019.
 - (2) They shall come into force w.e.f. 1st September, 2019.

2. Amendment in Rule 59

In the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, in rule 59, against the item (a) in the table regarding issue of renewal of permit of an auto-rickshaw, for figure and words Rs.1000/- (rupees one thousand), the figure and words Rs. 500/- (rupees five hundred) shall be substituted,

3. Insertion of new rule 59 (A)

In the said rules, after rule 59, the following shall be inserted, namely :-

Rule 59 (A). fees to be paid in respect of fitness, registration, transfer of ownership, penalty and hire purchase addition for auto-rickshaw shall be as under:-

Sr. No.	Auto Rickshaw fee	Fee (in Rs.)
1	Fitness Fee	Nil
2	Additional Fees for late fitness	300/- + 20/- per day
3	Registration / Re-registration	300/-
4	Duplicate registration Certificate	150/-
5	Transfer of Ownership	150/-
6.	Additional Fee for delay in Transfer of ownership	100/- per month
7.	Hire-Purchase Addition	500/-

This issues with the prior approval of Minister (Transport), Government of Delhi.

AJAY KUMAR SINANDI, Dy. Commissioner (ARU)